न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-52/2021
GCMS NO:- 2021/105
पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 24.06.2021

1. शंकरलाल आ0 गणपत जाति खाती निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. कमल आ0 गणपत जाति खाती निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. बाबूलाल आ0 गणपत जाति खाती निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. कौशल आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गंगाशंकर आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. लाड बाई पत्नी हरगोविन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. सोसर पत्नी रामभजन जाति मीणा निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. उंत्सव लाल आ0 नाथूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम गुडादेवजी हाल निवासी देई नया बस स्टैण्ड तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. पिंकी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मंजू पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मूली बाई पत्नी महावीर जाति महाजन निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. संतरा बाई पुत्री नाथू लाल हाल पत्नी बृजमोहन निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
6. रामलाल आ0 मोतीदास जाति बाबाजी निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कोलाहेडा पटवार मण्डल कोलाहेडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 340 के खसरा संख्या 860/0.7281 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की अपनी भूमि के खसरा में आने जाने का रास्ता कोलाहेडा से गुढादेवजी जाने वाले पक्के रोड से भूमि खसरा संख्या 558 व 1301/913 वाके ग्राम कोलाहेडा के बीच की मेर होते हुए जाता है। खसरा संख्या 858 अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 860 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बना हुआ हैं परन्तु नक्शे में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 858 में से रकबा 40 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 80 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 860 में से रकबा 28 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 56 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1301/913 में से रकबा 12 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कोलाहेडा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम कोलाहेडा पटवार मण्डल कोलाहेडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 340 के खसरा संख्या 860/0.7281 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 858 में से रकबा 40 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 80 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 860 में से रकबा 28 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 56 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1301/913 में से रकबा 12 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner